बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक– 01/विविध–08–27/2020, परि0 – 2184

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक–13.04.2020

विषय– COVID–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID–19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि बाहरी लोगों से कम–से–कम सम्पर्क हो सके एवं संक्रमण न फैले।

यह अनुभव किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान यद्यपि पैसेनजर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बन्द है, परन्तु कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाईकिल, स्कूटी, कार, आदि से शहरों/गाँवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेन्ट कर रहे हैं। Lockdown एवं Social Distancing के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेन्ट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:–

1. सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।

2. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें। पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉगबुग प्रिन्ट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे।

3. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड (Double ride) अनुमान्य नहीं होगा।

4. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।

5. निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।

6. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा – 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा।

7. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। Social distancing का भी ध्यान रखेंगे।

M

8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/4/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M

8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0-2184 पटना, दिनांक– 13/04/2020

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M

8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 –2184– पटना, दिनांक– 13/4/2020

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/20
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M

8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–08–27/2020, परि0 - 2184 पटना, दिनांक– 13/4/2020

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/4/2020
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

M